राज्यों को बैंकों में जमा की गई धनराशि उपलब्ध कराने के लिए नियम

1953. श्री ईशदत्त यादवः क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा राज्यों में जमा की गई धनराशि को उन्हीं राज्यों को उपलब्ध कराने के लिए नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) किन-किन राज्यों में इन नियमों और मानदंडों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, और

(ग) पिछले वर्ष विभिन्न राज्यों में जमा की गई धनराशि और ऋणों की मंजूरी के लिए उपलब्ध करायी धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) संभवतः माननीय सदस्य का आशय ऋण जमा अनुपात से है, जिसका प्रयोग सामान्यतया किसी राज्य में बैंकों द्वारा जुटाई जमाराशि के मुकाबले उस राज्य में ऋण संवितरण के सूचक के रूप में किया जाता है। दिसम्बर 1992 के अंत में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा जुटाई गई राज्यवार जमाराशियां और दिए गए अग्रिम तथा ऋण जमा अनुपात (अद्यतन उपलब्ध) विवरण में दर्शाया गया है (नीचे देखिए)।

ऋण जमा अनुपात किसी खास राज्य/क्षेत्र के विकास का एक मात्र द्योतक नहीं है। किसी खास राज्य या क्षेत्र में स्थानीय रूप से जुटाई गई जमाराशियों की तुलना में ऋण का वास्तविक स्तर राज्य/क्षेत्र की ऋण खपाने की क्षमता पर निर्भर करता है, जो आधारभूत सुविधाओं के विकास जैसे कारकों द्वारा निर्धारित और प्रभावित होता है। फिर भी, बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि ऋण संवितरण में विभिन्न राज्यों के बीच व्यापक क्षेत्रीय असमानताओं को दूर किया जाए और कमी वाले क्षेत्रों में उत्पादक एवं पता लगाए गए अर्थक्षम प्रस्तावों के लिए ऋण के प्रवाह में वृद्धि करने के लिए कारगर कदम उठाए जाते हैं। इस स्थिति की आवधिक आधार पर राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठकों में भी समीक्षा की जाती है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल जमाराशियां, सकल ऋण तथा ऋण जमा अनुपात क्षेत्रवार/राज्यवार विवरण

दिसम्बर 1992 के अंतिम शुक्रवार की स्थितियों

(राशि करोड़ रुपये)

क्षेत्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जमाराशियां	अग्रिम	ऋण जमा अनुपात
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र . .	**46844.16**	**27551.91**	**58.8**
हरियाणा . . .	4505.35	2489.46	55.3

1	2	3	4
हिमाचल प्रदेश . .	1659.08	531.24	32.0
जम्मू व कश्मीर . .	970.92	290.55	29.9
पंजाब . . .	11952.71	4765.89	39.9
राजस्थान . . .	5860.70	3202.01	54.6
चंडीगढ़ . . .	1846.01	1306.97	70.8
दिल्ली . . .	20049.39	14965.79	74.6
पूर्वोत्तर क्षेत्र . .	**3590.95**	**1539.06**	**42.9**
अरुणाचल प्रदेश . .	169.87	25.95	15.3
असम . . .	2345.17	1127.26	48.1
मणिपुर . . .	101.95	83.59	82.0
मेघालय . . .	411.05	68.46	16.7
मिजोरम . .	90.43	19.18	21.2
नागालैंण्ड . .	204.92	92.34	45.1
त्रिपुरा . . .	267.56	122.31	45.7
पूर्वी क्षेत्र . . .	**32604.06**	**15713.73**	**48.2**
बिहार . . .	9713.89	3675.37	37.8
उड़ीसा . . .	2972.92	2002.62	67.4
सिक्किम . . .	108.10	31.24	28.9
पश्चिम बंगाल . .	19737.60	9982.24	50.6
अं०व० नि० द्वीप . .	71.55	22.25	31.1
केन्द्रीय क्षेत्र . .	**30023.20**	**14525.21**	**48.4**
मध्य प्रदेश . .	8444.99	5291.70	63.8
उत्तर प्रदेश . .	21578.22	9133.51	42.3
पश्चिमी क्षेत्र . .	**60819.33**	**36809.67**	**60.5**
गोवा . . .	1801.96	541.59	30.1
गुजरात . . .	15184.32	8236.81	54.2
महाराष्ट्र . . .	43729.33	28008.80	64.1
दादरा व नागर हवेली . .	24.14	8.37	34.7
दामन व दीव . .	79.58	14.10	17.7
दक्षिण क्षेत्र . .	**46715.85**	**35148.13**	**75.2**
आंध्र प्रदेश . .	11792.68	9500.70	80.6
कर्नाटक . . .	10847.30	8268.74	76.2
केरल . . .	8367.76	4002.93	47.8
तमिलनाडु . . .	15304.75	13199.15	86.2
लक्षद्वीप . . .	12.09	1.41	10.9
पांडिचेरी . . .	390.47	175.21	14.9
अखिल भारत . .	**220597.55**	**131287.70**	**59.5**